संख्या-1372/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. प्रबन्ध निदेशक,
सहकारी आवास संघ,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक-19 मार्च, 2001

आवास अनुभाग-1

विषय : शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए अवरोधमुक्त परिसर के मानकों के अनुसार आवास उपलब्ध/निर्मित कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4746/9-आ-1-29-विविध/98, दिनांक-21 अक्टूबर, 2000 द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों यथा चलने-फिरने, बोलने-सुनने व देखने में कमी से ग्रस्त अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम्यता जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण हेतु मानक दिए गये हैं, जो सार्वजनिक उपयोग वाले सभी भवनों तथा जन-सुविधाओं पर लागू होंगे। परन्तु अशक्त व्यक्तियों के लिए उक्त मानकों के अनुसार आवास बनाने हेतु नीतिगत व्यवस्था नहीं की गई है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अशक्त व्यक्तियों के लिए बाधारहित सार्वजनिक उपयोग के भवनों एवं सुविधाओं के साथ-साथ आवास भी उपलब्ध कराए जायें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा उ.प्र. सहकारी आवास संघ की आवासीय योजनाओं में अशक्त व्यक्त्यों के प्रयोजनार्थ आवासीय भवन उपलब्ध कराने हेतु शहरी कार्य एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाइन्स के अनुसार निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं:-

(i) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु एकल आवासीय योजनाओं में कुल इकाइयों की कम से कम 2 प्रतिशत इकाइयां अवरोधमुक्त सुविधा वाली हों, जो भू-तल पर बनाई जाएंगी।

(ii) कर्मचारी/स्टाफ आवास तथा ग्रुप हाउसिंग में प्रत्येक 25 मकानों पर कम से कम एक इकाई तथा उसके ऊपर प्रत्येक 100 मकानों के बाद एक अतिरिक्त इकाई अवरोधमुक्त सुविधा वाली उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु आवासों का निर्माण ऐसे स्थलों पर किया जाएगा जो मुख्य मार्ग के निकट

हो एवं जहां से 30 मीटर से अधिक दूर तक पैदल चलने की आवश्यकता न पड़े।

(iv) आवासीय कालोनियों में सुगम्य बाजार क्षेत्र, पूजा स्थल, अन्य सुविधाओं के स्थल तथा प्रवेश/निकास सहज आवागमन वाले होंगे।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-1372(1)/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग-1 उ.प्र. शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष/नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियामित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियामित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

5. बेसमेन्ट व स्टिल्ट पर पर्याप्त पार्किंग।
6. परिसर की सुरक्षा बाउण्ड्री व गेट गार्ड रूम के साथ।
7. कामन सेवाओं तथा प्रत्येक फ्लैट में 0.5 किलो वाट तक की आपूर्ति हेतु जनरेटर सेट।

6. छूट

6.1 आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 75% धनराशि पर 5% की छूट अनुमन्य होगी, किन्तु आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटायी जायेगी, छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात् अन्य देय मदों मे समायोजित किया जायेगा।

6.2 आवंटी द्वारा सभी किश्तें समय से जमा करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि पर 2% की छूट अनुमन्य होगी, किन्तु आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जायेगी, छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात् अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।

7. **आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :**

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आवेदन/उसको आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

8. **आरक्षण :**

8.1 शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा।

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के वे कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।	05

6	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	
7	भूतपूर्व व उनके आश्रित	02
8	विकलांगो को	03

शासनादेश संख्या 786 / आठ–1–08–25विविध / 07 दिनांक 31.01.2008 के अनुसार 03% हॉरीजेन्टल आरक्षण देय होगा।

8.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिये 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्ध आरक्षण मे से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, तो उस वर्ग के लिये निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरीजेन्टल होगा।

8.3 वृद्धजनो के तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

8.4 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण–पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।

8.5 पैरा 8.3 व 8.1 (5) का आरक्षण प्राप्त करने के लिये आयु प्रमाण–पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।

8.6 आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र फार्म में पैन नम्बर देना अनिवार्य है।

9. आवटन :

9.1 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldalucknow.co.in पर उपलब्ध होगा।

9.2 अप्रवासी भारतीय आवेदकों को भी सामान्य लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

10. **पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :**

10.1 लाटरी के पश्चात असफल आवेदकों को एक माह के अन्दर धनराशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई0एफ0सी0 कोड अवश्य अंकित करना होगा।

10.2 सम्पत्ति के आवटन के पश्चात् धनराशि वापस लेने पर 20% (पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना

प्रारूप क

दिव्यागंजनों को आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासों तथा भूखण्डों के वर्षवार आवंटन का विवरण

क्रमांक	वर्ष	आवंटी का नाम	पता	आवास/भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	क्या मूल्य रियायत दी गयी (हॉं/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7
1	2013-14	श्री वकील	26/268 भीम नगर, जगदीशपुरा, आगरा।	सी-178 प्रथम तल	कालिन्दी विहार	नहीं
2	2014-15	श्री विकास सिंह	12/2 आर0के0 पुरम, ताजनगरी फेस-2, आगरा।	जी0एफ0-7/4	शास्त्रीपुरम	नहीं
3	2014-15	श्री गोविन्द	कचौरा, अछनेरा, आगरा।	एफ0एफ0-13/3	शास्त्रीपुरम	नहीं
4	2014-15	श्री लक्ष्मन किशोर पुत्र स्व0 श्री निहाल सिंह	ई-3/1514 शहीद नगर, आगरा।	एफ-3/1	शाहगंज फ्रेण्डस कालौनी	नहीं
5	2014-15	श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री शान्ती प्रसाद	बी-326 एम0आई0जी0 शास्त्रीपुरम, आगरा।	टी-2/1	शाहगंज फ्रेण्डस कालौनी	नहीं
6	2014-15	श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह	76, अयोध्या कुंज-ए, आगरा।	एफ-5/2	शाहगंज फ्रेण्डस कालौनी	नहीं
7	2014-15	श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह	ई-4/274 शहीद नगर, आगरा।	टी-4/3	शाहगंज फ्रेण्डस कालौनी	नहीं
8	2014-15	श्री महेन्द्र सिंह जाट पुत्र श्री हरी सिंह जाट	ए-6/10, कमला नगर, जनता क्वार्टर, आगरा।	एस0एफ0-3/1	शास्त्रीपुरम	नहीं
9	2014-15	श्री मेहराज खान पुत्र स्व0 श्री कलू खान	3/153/25सी, सत्य नगर, शाहगंज, आगरा।	टी0एफ0-2/4	शास्त्रीपुरम	नहीं
10	2014-15	कु0 सरिता पुत्री श्री दीवान सिंह शर्मा	959/6डी आवास विकास कालौनी, सिकन्दरा, आगरा।	टी-1/3	शास्त्रीपुरम	नहीं
11	2014-15	श्री अंकुर दीक्षित पुत्र श्री आनन्द किशोर दीक्षित	62-रोशनबाग, दयालबाग, आगरा।	एफ-2/4	शास्त्रीपुरम	नहीं
12	2014-15	श्री मदन मोहन पुत्र श्री ओमप्रकाश	83 ग्राम व पोस्ट फरैरा, तहसील बाह।	एस-12/3	शास्त्रीपुरम	नहीं
13	2015-16	कु0 लाली धनवानी पुत्री श्री हरीश चन्द धनवानी	डी/76, जनता क्वाटर, केदार नगर, शाहगंज, आगरा।	एस0एफ0-3/2	शास्त्रीपुरम	नहीं
14	2015-16	श्रीमती गुडिया पत्नी श्री नरेश	731 सेक्टर-11 आवास विकास कालौनी, आगरा।	सी-1/ई-473बी	शास्त्रीपुरम	नहीं
15	2016-17	श्रीमती शिल्पी सिंह पुष्कर पुत्री श्री धर्मसिंह पुष्कर	भवन संख्या-8, सेक्टर-9 आवास विकास कालौनी, आगरा।	सी-1/सी-435	शास्त्रीपुरम	नहीं
16	2016-17	श्री गाजुददीन	नगला देवजीत, यमुना ब्रिज, आगरा।	ई-44	कालिन्दी विहार	नहीं

नोटः- विकलांगों को शासनादेश संख्या-786/आठ-1-08-25विविध/07 दिनांक 31.01.2008 के अनुसार 03 प्रतिशत का पंजीकरण में आरक्षण दिया जा रहा है।